रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1962] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण 14, 1938
No. 1962] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/SRAVANA 14, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2016

का.आ. 2633(अ).-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

नेय्यर और पेपपारा वन्यजीव अभयारण्य, केरल राज्य के तिरुवंतपुरम जिले में क्रमशः उत्तरी $8^0$17' और $8^0$53'उ अक्षांश और $76^0$40' और $77^0$17'पू देशांतर तथा $8^0$34' एवं $8^0$41'उ अक्षांश और $77^0$6' और $77^0$14'पू देशांतर में क्रमशः 128 और 53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और, दोनों अभयारण्य पश्चिमी घाटों में आते हैं तथा केरल राज्य में अगस्तमलै जीवमंडल आरक्षिती के कोर क्षेत्र तथा पेरियार हाथी आरक्षिती का भाग है ;

और, दोनों अभयारण्य वनस्पति एवं जीव जन्तु की व्यापक विविधता का संभरण करता है जिसमें पौधों की महत्वपूर्ण दुर्लभ, स्थानिक और संकट में प्रजातियां जैसे बेनटिनकिया कोनडापन्ना, युगेनिया फ्लोकोस, अरदिसिया मिसिओनिस, जनाकिया अरायालपटरा, पफियोपेडिलुम डुरुरी, इलोफिया मैक्रोस्टाकिया, आदि, और महत्वपूर्ण पशु जैसे हाथी, गौर, सांभर हिरण, लघु पुच्छ वानर, नीलगीरि लंगूर, तवांगु, रीछ, तेंदुआ बिल्ली आदि हैं ;

और, नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य नेय्यर नदी का आबाद्ध क्षेत्र है तथा पेपपारा वन्यजीव अभयारण्य करमाना नदी का आबाद्ध क्षेत्र है;

और, नेय्यर और पेपपारा जलाशय केरल के तिरुवंतपुरम जिले में और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में कृषि भूमियों के बड़े भाग को जल प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत तिरुवंतपुरम शहर और संलग्न उप शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपूर्ति भी है ;

और, केरल में सबसे ऊंची चोटियों में से एक अगस्तयारकुदम (1868 मीटर) नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है और अगस्तमलैय जीवमंडल आरक्षिती का नामकरण उपर्युक्त चोटी के ऊपर किया गया है ;

और, दोनों अभयारण्यों में बहुत महत्वपूर्ण दुर्लभ और स्थानिक औषधीय पौधा जिसका नाम आरोग्यापचा (ट्रिकोपस ज़ेलानिकस) है यह काफी व्यापक विस्तारित है ;

और, नेय्यर और पेपपारा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य में नेय्यर और पेपपारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2.85 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को नेय्यर और पेपपारा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार केरल राज्य में नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य और पेपपारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2.85 किलोमीटर तक है और यह 30.64 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है । अभयारण्य की सीमा पूर्वी तरफ तमिलनाडु राज्य से लगती है । सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रुप में उपाबद्ध है ।

(2) मुख्य बिंदुओं के समन्वयकों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में केरल राज्य के तिरुवंतपुरम के चार ग्राम आते हैं । पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 17, 22, 28, 36 और सं. 39 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात्:-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टेन्ट, काष्ठ गृह;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं।

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा, केरल राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु विद्यमान स्थापनों का विस्तार आंचलिक महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा।

परंतु यह और कि संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक एक किलोमीटर की दूरी से परे आंचलिक महायोजना के अनुसार नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की जा सकेगी ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम

प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाईयां - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का संनिर्माण के संदर्भ में प्रतिषिद्ध होंगी अन्यथा नहीं ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में होगी ।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । जनजातियों के वास्तविक उपयोग के लिए अनुज्ञात होगा ।
(5)	नई बड़ी जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

	या उत्पादन ।	
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे वायुयान, गर्म वायु गुब्बारों द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा ।
(10)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए सतही जल और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही जल या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(11)	ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक अपशिष्ट/रासायनिक अपशिष्टों को नदी और भू-क्षेत्र में डालना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(12)	वाणिज्यिक मछली पकड़ना और अवैज्ञानिक मछली पकड़ना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(13)	नदी के किनारों का अधिक्रमण और नदी के किनारों की वनस्पति को नष्ट करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(14)	नदी से पत्थरों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(15)	विस्फोटक मदों का विनिर्माण और भंडारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(16)	वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पहाड़ियों का संपरिवर्तन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
विनियमित क्रियाकलाप		
(17)	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन होटल और रिसोर्ट की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।

		परंतु विद्यमान स्थापनों का विस्तार आंचलिक महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा। परंतु 1 किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की जा सकेगी ।
(18)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय निवासियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ; (ख) परंतु यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों तो, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से न्यूनतम रखा जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलापों को महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(19)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्ययोजना आदेशों का अनुसरण किया जाएगा।
(20)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबल बिछाई को प्रोत्साहित करना ।
(21)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(23)	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(24)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(25)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे । जहां आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढ़ालों के क्षेत्रों को उपदर्शित नहीं किया गया है वहां संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
(26)	प्राकृतिक जलाश्यों या भू क्षेत्रों में उपचारित बहिःस्रावों का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान ।	उपचारित बहिस्राव के पुनःचक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और कीचड़ या ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का पालन किया जाएगा ।
(27)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो

		देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते है और पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
(29)	वन उत्पादों या गैर-काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(31)	दुकानदारों द्वारा पॉलीथिन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(32)	कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(33)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(34)	पारिस्थितिक-पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(35)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी व्यवसायों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(36)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(37)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(38)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(39)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर और अन्य कुटीर उद्योग आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(40)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
(41)	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(42)	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी तीन वर्ष की अवधि के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) जिला कलेक्टर, तिरुवंतपुरम -अध्यक्ष;

(ii) सदस्य विधान सभा, अरुविकारा

(इस शर्त के अधीन रहते हुए कि अन्य बातों के साथ केरल राज्य सरकार सुसंगत अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी, जिसके अंतर्गत केरल विधान सभा के अध्यक्ष से अनुज्ञा, यदि अपेक्षित हो, भी है।)

– सदस्य;

(iii) सदस्य विधान सभा, पारास्साला - सदस्य;

(इस शर्त के अधीन रहते हुए कि अन्य बातों के साथ केरल राज्य सरकार सुसंगत अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी, जिसके अंतर्गत केरल विधान सभा के अध्यक्ष से अनुज्ञा, यदि अपेक्षित हो, भी है।)

(iv) अध्यक्ष, जिला पंचायत, तिरुवंतपुरम

(v) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में केरल राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(vi) केरल सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ - सदस्य;

(vii) राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य -सदस्य;

(viii) जिला अधिकारी, केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य;

(ix) वन्यजीव वार्डन, तिरुवंतपुरम - सदस्य-सचिव ।

निर्देश निबंधन

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन आने वाले ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, और पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध प्रखंड आयुक्त या संबद्ध पार्क उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा.सं. 25/104/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध।

नेय्यर-पेपपारा पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विविरण

नेय्यर-पेपपारा पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण निम्नलिखित रुप से है:

उत्तर	तिरुवंतपुरम प्रभाग की परुथिपल्ली श्रेणी-पपेपारा वन्यजीव अभयारण्य सीमा से केरल और तमिलनाडु सीमा पर बिंदु 53 से और परुथिपल्ली श्रेणी से होते हुए पेपपारा वन्यजीव अभयारण्य की दूरी 500 मीटर पश्चिम की ओर है और इसके बाद बिंदु 32 (कल्लूप्पारा) के ऊपर पेपपारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से अधिकतम दूरी 2.853 किलोमीटर के साथ बोनाकोर्ड भूमि के उत्तरी सीमा के साथ जाती है।
पश्चिम	तिरुवंतपुरम प्रादेशिक प्रभाग की परुरहिपल्ली श्रेणी, तिरुवंतपुरम वन्यजीव प्रभाग की अगस्तयवनम जैविक उद्यान श्रेणी, निजी भूमि-बिंदु 32 (कल्लूपारा) से आरंभ होकर बिंदु (1) नजावाराक्कदु जंक्शन के ऊपर पेपपारा और नेय्यर वन्यजीव अभयारण्यों की सीमा से सीमा 500 मीटर की दूरी में परुथिपल्ली श्रेणी, तिरुवंतपुरम वन्यजीव प्रभाग की जैविक उद्यान श्रेणी, निजी भूमि से होते हुए दक्षिण की ओर जाती है।
पूर्व	नेय्यर और पेपपारा वन्यजीव अभयारण्यों, तमिलनाडु का वन- बिंदु (1) नजावाराक्कदु जंक्शन से आरंभ होकर सीमा उत्तर की ओर जाकर और नेय्यर और पेपपारा वन्यजीव अभयारण्यों की पश्चिमी सीमा के साथ कल्लूप्पारा (बिंदु 32) से मिलती है।
दक्षिण	पेपपारा वन्यजीव अभयारण्य और निजी भूमि-नजावाराद्दादु जंक्शन से आरंभ होकर सीमा निजी भूमि के साथ जाती है फिर यह नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से मिलती है। कल्लूपारा सीमा से पेपपारा वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा के साथ इस जोन की ओर जाती है और इसके बाद तमिलनाडु अंतर-राज्य सीमा से मिलती है।

उपाबंध-II

अक्षांश और देशांतर के सहित नेय्यर-पेपपारा के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

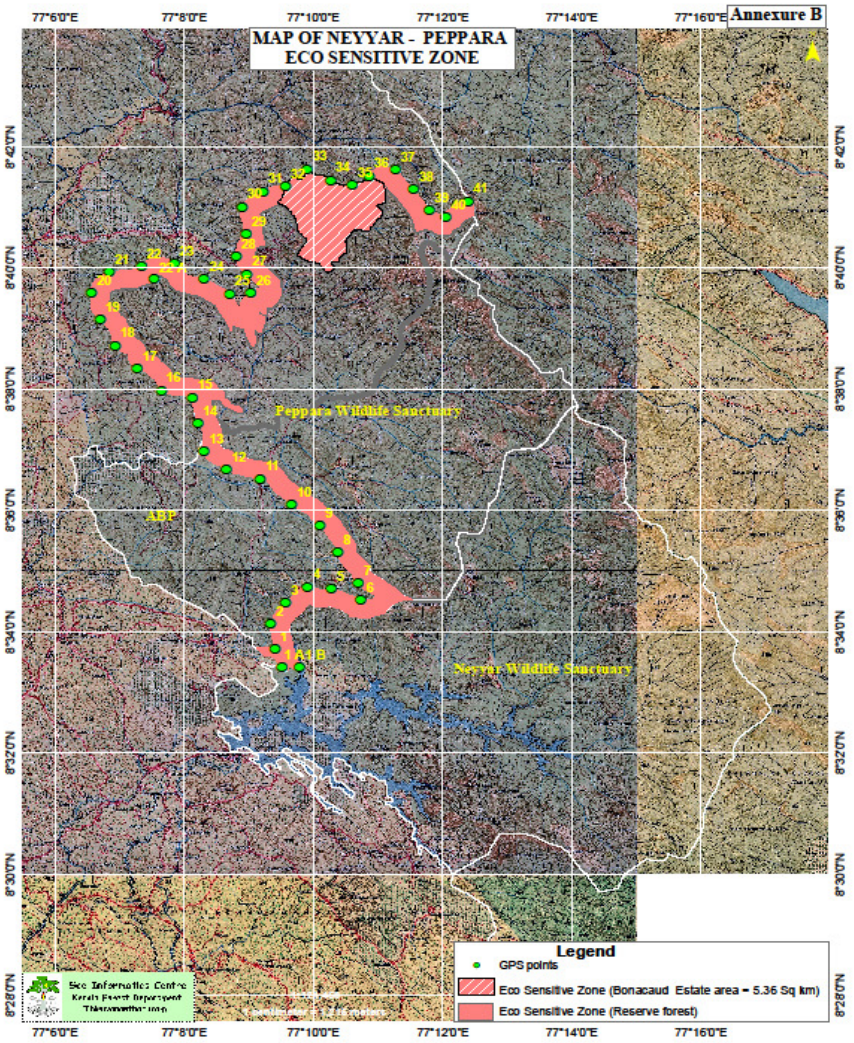

नेय्यर-पेपपारा पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पे अक्षांश और देशांतर के मुख्य अवस्थान

बिंदु आई डी	अक्षांश (डिग्री मिनट सेकेण्ड)	देशांतर (डिग्री मिनट सेकेण्ड)
1	8°31' 7.042" उ	77°10' 51.904" पू
2	8°30' 48.326" उ	77°10' 36.308" पू
3	8°30' 48.326" उ	77°10' 5.809" पू
4	8°31' 8.081" उ	77° 9' 46.747" पू
5	8°31' 28.529" उ	77°9' 30.458" पू
6	8°31' 29.223" उ	77°9' 2.039" पू
7	8°31' 45.512" उ	77°8' 37.085" पू
8	8°32' 5.613" उ	77°8' 18.370" पू
9	8°32' 33.686" उ	77°8' 8.666" पू
10	8°33' 5.918" उ	77°8' 11.438" पू
11	8°33' 26.366" उ	77°8' 27.034" पू
12	8°33' 35.724" उ	77°8' 56.840" पू
13	8°33' 43.002" उ	77°9' 23.873" पू
14	8°34' 8.302" उ	77°9' 19.714" पू
15	8°34' 29.097" उ	77°9' 33.577" पू
16	8°34' 44.346" उ	77°9' 54.372" पू
17	8°34' 42.267" उ	77°10' 16.207" पू
18	8°34' 31.523" उ	77°10' 43.586" पू
19	8°34' 48.505" उ	77°10' 41.160" पू
20	8°35' 18.311" उ	77°10' 22.445" पू
21	8°35' 44.997" उ	77°10' 5.809" पू
22	8°36' 6.139" उ	77°9' 39.469 पू
23	8°36' 31.439" उ	77°9' 10.357" पू
24	8°36' 40.796" उ	77°8' 38.818" पू

25	8°36' 59.165" उ	77°8' 18.023" पू
26	8°37' 26.198" उ	77°8' 12.132" पू
27	8°37' 51.845" उ	77°8' 7.279" पू
28	8°37' 59.123" उ	77°7' 38.167" पू
29	8°38' 19.918" उ	77°7' 15.986" पू
30	8°38' 43.139" उ	77°6' 55.538" पू
31	8°39' 8.785" उ	77°6' 41.328" पू
32	8°39' 35.125" उ	77°6' 33.703" पू
33	8°39' 55.920" उ	77°6' 49.992" पू
34	8°40' 2.158" उ	77°7' 19.798" पू
35	8°40' 4.931" उ	77°7' 50.644" पू
36	8°39' 50.028" उ	77°8' 18.023" पू
37	8°39' 34.779" उ	77°8' 41.937" पू
38	8°39' 35.125" उ	77°9' 1.346" पू
39	8°39' 54.187" उ	77°8' 57.880" पू
40	8°40' 11.516" उ	77°8' 47.829" पू
41	8°40' 33.351" उ	77°8' 57.187" पू
42	8°41' 0.730" उ	77°8' 53.374" पू
43	8°41' 15.980" उ	77°9' 12.783" पू
44	8°41' 21.178" उ	77°9' 33.577" पू
45	8°41' 38.507" उ	77°9' 53.679" पू
46	8°41' 27.070" उ	77°10' 15.513" पू
47	8°41' 22.911" उ	77°10' 35.615" पू
48	8°41' 31.229" उ	77°10' 51.211" पू
49	8°41' 37.468" उ	77°11' 15.818" पू
50	8°41' 18.406" उ	77°11' 32.800" पू
51	8°40' 57.611" उ	77°11' 47.010" पू

52	8°40' 49.986" उ	77°12' 2.606" पू
53	8°41' 6.622" उ	77°12' 23.401" पू

उपाबंध –III

नेय्यर-पेपपारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का विवरण

क्र. सं.	जिला	तालुक	ग्राम	स्थिति
1	तिरुवंतपुरम	नेय्याट्टींकारा	कल्लीक्काडु	(भाग)
2	तिरुवंतपुरम	नेय्याट्टींकारा	अमबूरी	(भाग)
3	तिरुवंतपुरम	नेय्याट्टींकारा	मन्नूरकारा	(भाग)
4	तिरुवंतपुरम	नेय्याट्टींकारा	विथुरा	(भाग)

नेय्यर-पेपपारा पारिस्थितिक संवेदी जोन में आरक्षित/निहित वनों का विवरण

क्र.सं.	जिला	आरक्षित वन का नाम	प्रशासनिक नियंत्रण	विस्तार वर्ग किलोमीटर	अधिसूचना सं.
1	तिरुवंतपुरम	कोट्टूर	तिरुवंतपुरम प्रादेशिक प्रभाग की परुरहिपल्ली श्रेणी, तिरुवंतपुरम वन्यजीव प्रभाग की अगस्थयावनम जैविक उद्यान श्रेणी	6.56	सं. 30, आर-781 दिनांक 25-07-1896
2	तिरुवंतपुरम	पालोद	तिरुवंतपुरम प्रादेशिक प्रभाग की परुरहिपल्ली श्रेणी	10.55	सं. 33, दिनांक 8-03-1898

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2016

S.O.2633(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, both Neyyar and Peppara Wildlife Sanctuaries are located in Thiruvananthapuram District of Kerala State between $8^0$17' & $8^0$53'N latitude and 76^0 40' and 77^0 17'E longitude and $8^0$34' & $8^0$41'N latitude and 77^0 6' and 77^0 14'E longitude respectively and the extent of Neyyar and Peppara Wildlife Sanctuaries are 128 and 53 square kilometres respectively;

AND WHEREAS, both the sanctuaries are contiguous fall in Western Ghats and are part of core area of Agasthayamalai Biosphere Reserve and the Periyar Elephant Reserve in Kerala State;

AND WHEREAS, both the Sanctuaries support wide variety of flora and fauna which includes important rare, endemic and threatened species of plants such as *Bentinckia condapanna, Eugenia floccose, Ardisia missionis, Janakia arayalpatra, Paphiopedilum druryi, Eulophia macrostachya,* etc., and important animals such as Elephant, Gaur, Sambar Deer, Lion Tailed Macaque, Nilgiri Langur, Slender Loris, Sloth Bear, Leopard Cat, etc;

AND WHEREAS, the Neyyar Wildlife sanctuary is the catchment of Neyyar River and Peppara Wildlife sanctuary is the catchment of Karamana River;

AND WHEREAS, water from Neyyar and Peppara reservoir supports a large tract of agricultural lands in Thiruvananthapuram District of Kerala and Kanyakumari District of Tamil Nadu including the water supply needs of Thiruvananthapuram city and adjoining sub urban areas;

AND WHEREAS, one of the highest peaks of Kerala known as Agasthyarkoodam (1868 mts) is situated in Neyyar wildlife sanctuary and the Agasthayamalai Biosphere Reserve has been named after the above peak;

AND WHEREAS, a very important rare and endemic medicinal plant named as Arogyapacha (*Trichopus Zeylanicus*) is very widely distributed in both the sanctuaries;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected areas of Neyyar Wildlife Sanctuary and Peppara Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent varying upto 2.85 kilometers from the boundary of Neyyar Wildlife Sanctuary and Peppara Wildlife Sanctuary in the State of Kerala as the of Neyyar and Peppara Wildlife Sanctuaries Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1)The extent of Eco-sensitive Zone is up to 2.85 kilometers from the boundary of Neyyar Wildlife Sanctuary and Peppara Wildlife Sanctuary in the State of Kerala and is spread over an area of 30.64 square kilometre. The Sanctuaries share boundary with the State of Tamil Nadu on the eastern side. Details of boundary are appended as **Annexure-I**.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II.**

(3) The Eco-sensitive Zone covers four villages in District Thiruvanthapuram of state of Kerala. The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Governments shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Governments.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Governments in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,
(ii) Forest,
(iii) Urban Development,
(iv) Tourism,
(v) Municipal,
(vi) Revenue,
(vii) Agriculture,
(viii) State Pollution Control Board,
(ix) Irrigation,
(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 17, 22, 28, 36 and 39 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

(i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of

the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Kerala in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Kerala.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan:

Provided further that beyond the distance of the distance of one kilometre from the boundary of Protected Areas till the extent of Eco-sensitive Zone new hotels and resorts may be established as per Zonal Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units. -**(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition(Civil) No.202 of 1995 and order of the

		Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. Permitted for bonafide use of tribals.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law.
10.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including for commercial mineral water plants and aerated drinks, bottling plants shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone; (b) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
11.	Dumping of solid wastes/plastic wastes /chemical wastes in the river and the land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Commercial Fishing and unscientific fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. However, permitted for bonafide use of tribals.
13.	Encroachment of river banks and destruction of river bank	Prohibited (except as otherwise provided) as per

	vegetation.	applicable laws.
14.	Collection of river stones.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
15.	Manufacturing and storage of explosive items.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
16.	Conversion of hills for commercial purpose.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated Activities	
17.	Establishment of eco-friendly tourism hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Neyyar Wildlife Sanctuary and Peppara Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan: Provided further that beyond one kilometre up to the extent of eco-sensitive zone new hotels and resorts may be established as per Zonal Master Plan.
18.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Neyyar Wildlife Sanctuary and Peppara Wildlife Sanctuary : Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) beyond one kilometer from the boundary of the Neyyar Wildlife Sanctuary and Peppara Wildlife Sanctuary up to the extent of eco-sensitive zone commercial construction may be carried out as per Zonal Master Plan. (c) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
19.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder; (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be

		followed.
20.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling
21.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
22.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
24.	Introduction of exotic species.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
25.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws. The Zonal master Plan shall indicate areas of hill slopes where construction shall not be permitted.
26.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
27.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
28.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
29.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
30.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
31.	Use of polythene bags by shopkeepers.	Regulated under applicable laws.
32.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
33.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
34.	Eco-Tourism.	Regulated under applicable laws.

Promoted Activities		
35.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming.	Permitted under applicable laws.
36.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
38.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
39.	Cottage industries including village artisans and other cottage industries.	Shall be actively promoted.
40.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light, etc. to be promoted.
41.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i) The District Collector, Thiruvananthapuram - Chairman;

(ii) The Member of Legislative Assembly, Aruvikara - Member ;

(Subject to the State Government of Kerala obtaining relevant approvals, *inter alia,* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Kerala, if required)

(iii) The Member of Legislative Assembly, Parassala - Member;

(Subject to the State Government of Kerala obtaining relevant approvals, *inter alia,* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Kerala, if required)

(iv) President, District Panchayat, Thiruvananthapuram – Member ;

(v) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Kerala – Member;

(vi) one expert in the area of ecology and environment from a reputed institution or University in the State to be nominated by the Government of Kerala– Member;

(vii) Member of the State Biodiversity Board - Member

(viii) Kerala Pollution Control Board, District Officer - Member;

(ix) The Wildlife Warden, Thiruvanathapuram – Member Secretary;

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per proforma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/104/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF NEYYAR-PEPPARA THE ECO-SENSITIVE ZONE

Boundary description of the Neyyar-Peppara Eco-sensitive Zone is as follows:

North	Paruthipally Range of Thiruvanthapuram Division- From the Peppara sanctuary boundary from point 53 on North East Kerala and Tamil Nadu boarder and runs towards West at a distance of 500 M from the boundary of Peppara Wildllife Sanctuary through Paruthippally Range and then runs along the Northern boundary of the Bonaccord estate with a maximum distance of 2.853 km from the boundary of Peppara Wildlife Sanctuary up to point 32 (Kalluppara)
West	Parurhipally Range of Thiruvananthapuram Territorial Division, Agasthyavanam Biological Park Range of Thiruvanathapuram Wildlife Division, Private land-Starting from point 32 (Kallupara) boundary runs towards south through Paruthipally Range, Biological Park Range of Thiruvanathapuram Wildlife Division, Private lands, at a distance of 500 mts. from the boundary of Peppara and Neyyar Wildlife Sanctuaries up to point (1) Njavarakkadu Junction.
East	Neyyar & Peppara Wildlife Sanctuaries, Forest of Tamil Nadu – Starting from point (1) Njavarakkadu Junction boundary runs towards North and meet at Kalluppara (point 32) along the western boundary of Neyyar and Peppara Wildlife Sanctuaries.
South	Peppara Wildlife Sanctuary and Private land-From Njavaraddadu Junction the boundary runs along the private land till it meet the boundary of Neyyar Wildlife Sanctuary. From Kallupara the boundary of this zone runs along the Northern boundary of Peppara Wildlife Sanctuary and then meet at Tamil Nadu interstate border.

ANNEXURE-II

MAP OF NEYYAR-PEPPARA ECO-SENSITIVE ZONE WITH LATITUDES AND LONGITUDES

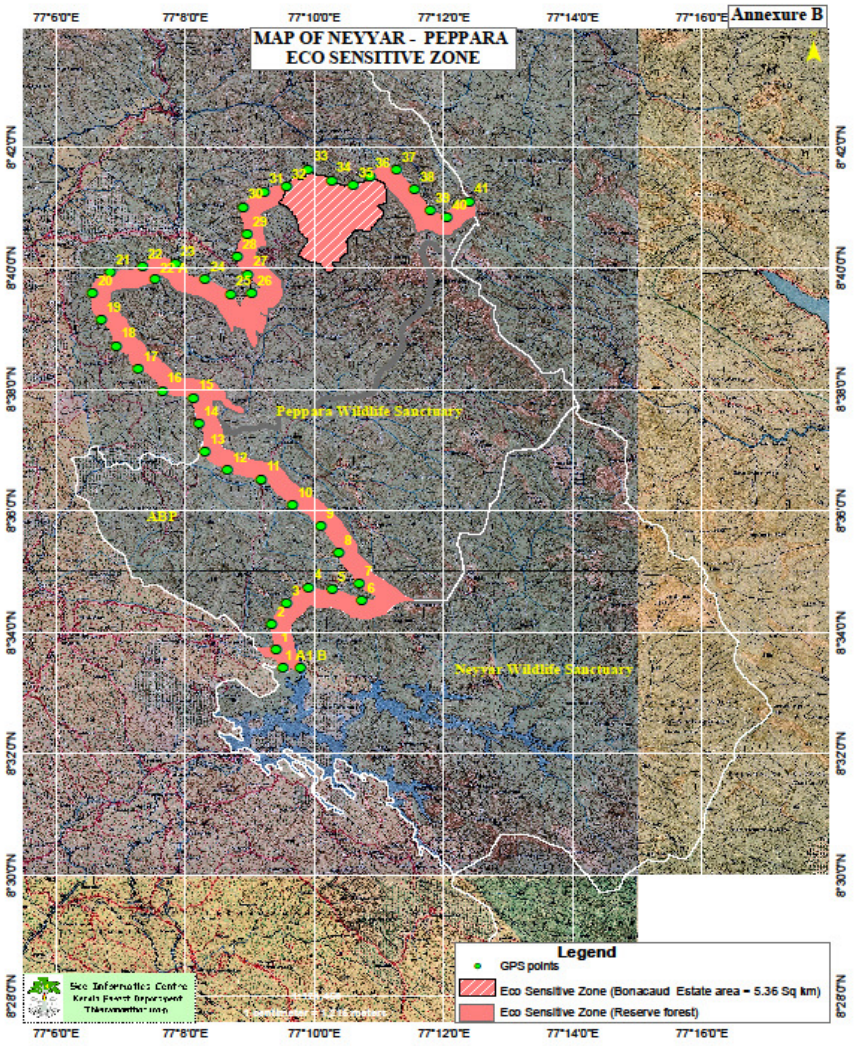

LATITUDE AND LOGITUDE OF THE KEY LOCATIONS ON THE BOUNDARY OF NEYYAR-PEPPARA ECO-SENSITIVE ZONE

Point ID	Latitude (Degree minutes Seconds)	Longitude (Degree minutes Seconds)
1	8°31’ 7.042” N	77°10’ 51.904” E
2	8°30’ 48.326” N	77°10’ 36.308” E
3	8°30’ 48.326” N	77°10’ 5.809” E
4	8°31’ 8.081” N	77° 9’ 46.747” E

5	8°31’ 28.529” N	77°9’ 30.458” E
6	8°31’ 29.223” N	77°9’ 2.039” E
7	8°31’ 45.512” N	77°8’ 37.085” E
8	8°32’ 5.613” N	77°8’ 18.370” E
9	8°32’ 33.686” N	77°8’ 8.666” E
10	8°33’ 5.918” N	77°8’ 11.438” E
11	8°33’ 26.366” N	77°8’ 27.034” E
12	8°33’ 35.724” N	77°8’ 56.840” E
13	8°33’ 43.002” N	77°9’ 23.873” E
14	8°34’ 8.302” N	77°9’ 19.714” E
15	8°34’ 29.097” N	77°9’ 33.577” E
16	8°34’ 44.346” N	77°9’ 54.372” E
17	8°34’ 42.267” N	77°10’ 16.207” E
18	8°34’ 31.523” N	77°10’ 43.586” E
19	8°34’ 48.505” N	77°10’ 41.160” E
20	8°35’ 18.311” N	77°10’ 22.445” E
21	8°35’ 44.997” N	77°10’ 5.809” E
22	8°36’ 6.139” N	77°9’ 39.469 E
23	8°36’ 31.439” N	77°9’ 10.357” E
24	8°36’ 40.796” N	77°8’ 38.818” E
25	8°36’ 59.165” N	77°8’ 18.023” E
26	8°37’ 26.198” N	77°8’ 12.132” E
27	8°37’ 51.845” N	77°8’ 7.279” E
28	8°37’ 59.123” N	77°7’ 38.167” E
29	8°38’ 19.918” N	77°7’ 15.986” E
30	8°38’ 43.139” N	77°6’ 55.538” E
31	8°39’ 8.785” N	77°6’ 41.328” E
32	8°39’ 35.125” N	77°6’ 33.703” E
33	8°39’ 55.920” N	77°6’ 49.992” E
34	8°40’ 2.158” N	77°7’ 19.798” E
35	8°40’ 4.931” N	77°7’ 50.644” E
36	8°39’ 50.028” N	77°8’ 18.023” E
37	8°39’ 34.779” N	77°8’ 41.937” E
38	8°39’ 35.125” N	77°9’ 1.346” E
39	8°39’ 54.187” N	77°8’ 57.880” E
40	8°40’ 11.516” N	77°8’ 47.829” E

Point ID	Latitude (Degree minutes Seconds)	Longitude (Degree minutes Seconds)
41	8°40’ 33.351” N	77°8’ 57.187” E
42	8°41’ 0.730” N	77°8’ 53.374” E
43	8°41’ 15.980” N	77°9’ 12.783” E
44	8°41’ 21.178” N	77°9’ 33.577” E
45	8°41’ 38.507” N	77°9’ 53.679” E
46	8°41’ 27.070” N	77°10’ 15.513” E
47	8°41’ 22.911” N	77°10’ 35.615” E
48	8°41’ 31.229” N	77°10’ 51.211” E
49	8°41’ 37.468” N	77°11’ 15.818” E
50	8°41’ 18.406” N	77°11’ 32.800” E
51	8°40’ 57.611” N	77°11’ 47.010” E
52	8°40’ 49.986” N	77°12’ 2.606” E
53	8°41’ 6.622” N	77°12’ 23.401” E

ANNEXURE-III

DETAILS OF VILLAGES FALLING IN NEYYAR-PEPPARA ECO-SENSITIVE ZONE

Sl.No.	District	Taluk	Village	Status
1	Thiruvananthapuram	Neyyattinkara	Kallikkadu	(Part)
2	Thiruvananthapuram	Neyyattinkara	Amboori	(Part)
3	Thiruvananthapuram	Neyyattinkara	Mannoorkara	(Part)
4	Thiruvananthapuram	Neyyattinkara	Vithura	(Part)

DETAILS OF RESERVE/VESTED FORESTS

IN NEYYAR-PEPPARA ECO-SENSITVE ZONE

Sl.No	District	Name of Reserved Forest	Administrative Control	Extent Sq. km	Notification No.
1	Thiruvananthapuram	Kottoor	Parurhipally Range of Thiruvananthapuram Territorial Division, Agasthyavanam Biological Park Range of Thiruvananthapuram Wildlife Division	6.56	No. 30, R-781 dt 25-07-1896
2	Thiruvananthapuram	Palode	Parurhipally Range of Thiruvananthapuram Territorial Division	10.55	No. 33, dt 8-03-1898

ANNEXURE-IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting may be attached on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.(Details may be attached as Annexure).
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.